प्रेस नोट दिनांक 16.08.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 16.08.2026
थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 04 अदद अवैध देशी बम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 04 अदद अवैध देशी बम के साथ 01 अभियुक्त मान सिंह उर्फ सौरभ सिंह को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर पुलिस उ0नि0 घनश्याम यादव मय हमराह का0 शत्रुघन यादव, का0 धीरज प्रताप शाश्वत द्वारा देखभाल क्षेत्र, भ्रमण, संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम रेवली से टेकई का पुरवा जाने वाली मुख्य सड़क पर मोनू बारी के कमरे के पास से 01 अभियुक्त मान सिंह उर्फ सौरभ सिंह पुत्र उदयभान सिंह, निवासी ग्राम रेवली, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद अवैध देशी बम बरामद हुए।

बरामदगी के संबंध में थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0 159/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मान सिंह उर्फ सौरभ सिंह पुत्र उदयभान सिंह, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी ग्राम रेवली, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त मान सिंह उर्फ सौरभ सिंह पुत्र उदयभान सिंह का अपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 94/2019 धारा 302/201/120बी/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 142/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 124/2022 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 159/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

04 अदद अवैध देशी बम।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 घनश्याम यादव मय हमराह का0 शत्रुघन यादव, का0 धीरज प्रताप शाश्वत, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 16.08.2026
थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी कोतवाली नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 13.08.2026 को रंजीतपुर चिलबिला क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय के पास से एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल चोरी किए जाने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 493/2026, धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के अनावरण एवं चोरी गई मोटरसाइकिल की बरामदगी हेतु थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सुरागरसी-पतारसी एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।

इसी क्रम में दिनांक 16.08.2026 को उ0नि0 रोहित सिंह मय हमराह का0 विकास, का0 विशाल पुरी एवं का0 प्रशान्त कुमार द्वारा कावड़ यात्रा डायवर्जन/गश्त ड्यूटी एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर रंजीतपुर चिलबिला चौहान बस्ती के पास से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्तों 1. कन्हैया पाण्डेय पुत्र सत्यनारायण पाण्डेय, उम्र करीब 28 वर्ष एवं 2. अनुज यादव पुत्र मेवालाल यादव, उम्र करीब 18 वर्ष, निवासीगण सोनावा चिलबिला, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद चोरी की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद हुई। बरामद मोटरसाइकिल का चेचिस नम्बर MBLHAW222RHB45642 ई-चालान एप के माध्यम से चेक करने पर वाहन संख्या UP72BX9602 पंजीकृत पाई गई, जिसके वाहन स्वामी का नाम रोमित पुत्र शिवकुमार तिवारी निवासी रंजीतपुर चिलबिला माधोगंज, प्रतापगढ़ पाया गया। जांच में उक्त मोटरसाइकिल थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 493/2026 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित होना पाया गया।

पूछताछ में अभियुक्त कन्हैया पाण्डेय द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को दिनांक 13.08.2026 को रंजीतपुर चिलबिला स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास से चोरी करना तथा पुलिस से बचने के लिए मोटरसाइकिल की आगे-पीछे की

नम्बर प्लेट तोड़ देना बताया गया। अभियुक्त अनुज यादव द्वारा चोरी की होने की जानकारी के बावजूद उक्त मोटरसाइकिल को कन्हैया पाण्डेय से खरीदने की बात बताई गई। बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. कन्हैया पाण्डेय पुत्र सत्यनारायण पाण्डेय, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी सोनावा चिलबिला, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
2. अनुज यादव पुत्र मेवालाल यादव, उम्र करीब 18 वर्ष, निवासी सोनावा चिलबिला, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-
01 अदद चोरी की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रोहित सिंह मय हमराह का0 विकास, का0 विशाल पुरी एवं का0 प्रशान्त कुमार, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 16.08.2026
थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 04 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी रानीगंज के नेतृत्व में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 393/2025, धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/117(3) बीएनएस से संबंधित 04 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना रानीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 393/2025, धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/117(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना रानीगंज पुलिस द्वारा लगातार सुरागरसी-पतारसी एवं दबिश की कार्यवाही की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 15.08.2026 को पुलिस टीम को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग से संबंधित 04 वांछित अभियुक्त शाहपुर से रानीगंज की ओर पक्की सड़क से आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मिश्रान मोड़ के पास जामुन के पेड़ के नीचे से 04 अभियुक्तों अजय कुमार, अमृतलाल, रामविलाश एवं विजय कुमार, समस्त निवासीगण ग्राम शाहपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. अजय कुमार पुत्र स्व0 रामलाल, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम शाहपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
2. अमृतलाल पुत्र कालूराम, उम्र करीब 52 वर्ष, निवासी ग्राम शाहपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
3. रामविलाश पुत्र अमृतलाल, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी ग्राम शाहपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
4. विजय कुमार पुत्र स्व0 रामलाल, उम्र करीब 39 वर्ष, निवासी ग्राम शाहपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों में अजय कुमार, अमृतलाल एवं रामविलाश के विरुद्ध थाना रानीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 393/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/117(3) बीएनएस में वांछित थे, जबकि अभियुक्त विजय कुमार उक्त अभियोग में धारा 49 बीएनएस के अंतर्गत भी वांछित था।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय मय हमराह रि0का0 क्षितिज विश्वास सिंह, रि0का0 मनीष राय, का0 राजकिशोर चौहान एवं रि0का0 विष्णु कुमार गुप्ता, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 16.08.2026
थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

चोरी की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार; चोरी का मोनोब्लॉक एवं मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस को मिली सफलता, चोरी का मोनोब्लॉक बरामद कर 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 15.08.2026 को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लाल साहब का पुरवा भाव निवासी के आटा एवं स्पेलर कारखाने के पीछे स्थित खेती की भूमि के पास बकुलाही नदी किनारे सिंचाई हेतु लगाए गए मोनोब्लॉक को तीन व्यक्तियों द्वारा चोरी कर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान वादी के पारिवारिक भतीजे की नजर उक्त व्यक्तियों पर पड़ गई। शोर मचाकर पीछा करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जबकि उसके दो साथी मौके से भागने में सफल रहे।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में थाना बाघराय पुलिस द्वारा प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

पकड़े गए व्यक्ति की पहचान शुभम गौतम पुत्र ज्ञान बाबू, निवासी ग्राम कोडरासाल, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष के रूप में हुई। उसके कब्जे से चोरी का 01 अदद मोनोब्लॉक तथा घटना में प्रयुक्त TVS मोटरसाइकिल, सफेद-नीले रंग की बरामद हुई।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त शुभम गौतम ने बताया कि वह अपने साथी मोहित गौतम पुत्र कमलेश एवं राजाबाबू पुत्र राजू यादव, निवासीगण ग्राम कोडरासाल, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर सुनसान स्थानों पर चोरी करते हैं। तीनों ने योजना बनाकर बकुलाही नदी किनारे लगे मोनोब्लॉक को पाइप से अलग कर मोटरसाइकिल पर लादकर ले जाने का प्रयास किया था, इसी दौरान उन्हें पकड़ लिया गया तथा उसके दोनों साथी मौके से भाग गए।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में यह भी बताया गया कि दिनांक 18.07.2026 की रात्रि में तीनों ने मिलकर पंडितों के खेत से 02 एचपी की किर्लोस्कर मोटर चोरी की थी, जिसे उसके साथी राजाबाबू द्वारा कहीं ले जाकर बेच दिया गया था तथा बिक्री से प्राप्त करीब ₹1,500/- को आपस में बांटकर खर्च कर लिया गया।

बरामदगी-
01 अदद चोरी का मोनोब्लॉक (Kirloskar Brothers Limited, Diwas, Hitesh 3×3.1/150 अंकित)।
01 अदद TVS मोटरसाइकिल, धारा 207 एमवीएक्ट में सीज।

प्रकरण में प्राप्त तहरीर एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 214/2026 धारा 303 (2)/317 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। फरार अभियुक्तों मोहित गौतम एवं राजाबाबू की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा संभावित स्थानों पर दबिश एवं तलाश की जा रही है।

प्रेस नोट दिनांक 16.08.2026
थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी वारण्ट/NBW के अनुपालन में वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 दीपक राजभर, म0का0 बीनू जायसवाल, म0का0 मीना तथा हस्बुल तलब हे0का0 सुनील यादव, का0 ओमप्रकाश पाल व का0 रोहित यादव द्वारा दबिश देकर मु0नं0 12439/2023, अ0सं0 74/2021 धारा 147, 308, 323, 504, 506 IPC, मु0नं0 20001/2021, अ0सं0 52/1993 धारा 352, 506 IPC एवं मु0नं0 236/2022, अ0सं0 108/2021 धारा 504, 506 IPC व 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 03 वारण्टी अभियुक्तों क्रमशः (1) सुशील रजक पुत्र

बडेलाल, निवासी ग्राम विक्रामपुर, थाना फतनपुर, उम्र करीब 25 वर्ष, (2) श्याम शंकर मिश्रा पुत्र स्व0 भुंवर मिश्रा, निवासी ग्राम विक्रामपुर, थाना फतनपुर, उम्र करीब 75 वर्ष एवं (3) कर्मसिंह पुत्र प्यारेलाल यादव, निवासी ग्राम महमदपुर, थाना फतनपुर, उम्र करीब 51 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह रि0आ0 रोहन कुमार एवं हस्बुल तलब रि0आ0 सुबोध यादव द्वारा मु0नं0 1705314/2004, स0स0 254/1988, धारा 325, 323, 504 IPC, थाना रानीगंज से संबंधित वारण्टी अभियुक्त घनश्याम उर्फ सैलानी शुक्ला पुत्र स्व0 रामसमुझ शुक्ला, निवासी ग्राम जगदीशपुर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष को ज्ञानोदय विद्या मंदिर, जगदीशपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार सभी वारण्टी अभियुक्तों को नियमानुसार हिरासत में लेकर संबंधित माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. सुशील रजक पुत्र बडेलाल, निवासी ग्राम विक्रामपुर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।
2. श्याम शंकर मिश्रा पुत्र स्व0 भुंवर मिश्रा, निवासी ग्राम विक्रामपुर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 75 वर्ष।
3. कर्मसिंह पुत्र प्यारेलाल यादव, निवासी ग्राम महमदपुर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 51 वर्ष।
4. घनश्याम उर्फ सैलानी शुक्ला पुत्र स्व0 रामसमुझ शुक्ला, निवासी ग्राम जगदीशपुर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राहुल कुमार, उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह का0 दीपक राजभर, म0का0 बीनू जायसवाल, म0का0 मीना, हे0का0 सुनील यादव, का0 ओमप्रकाश पाल, का0 रोहित यादव, रि0आ0 रोहन कुमार एवं रि0आ0 सुबोध यादव, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 16.08.2026
थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा एससी/एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज पुलिस द्वारा मा0 विशेष न्यायालय एससी/एसटी, प्रतापगढ़ से निर्गत ऑनलाइन गिरफ्तारी अधिपत्र से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना लालगंज के उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह हे0का0 जाहिद हुसैन द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, एटीएम, टायनी शाखा, पेट्रोल पम्प की चेकिंग एवं तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्तगण तथा सुरक्षा

एवं शांति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान मा0 विशेष न्यायालय एससी/एसटी, प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत ऑनलाइन गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में संबंधित सेशन केस नं0 441/2023 राज्य बनाम विनय पाण्डेय, मु0अ0सं0 481/2022, धारा 452/323/504/506 भादवि व 3(1)r/3(1)s/3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्तगण को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-
1. प्रतुल पाण्डेय उर्फ मोनू पुत्र अम्बिका प्रसाद पाण्डेय, निवासी ग्राम पूरे वासी, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष।
2. विनय पाण्डेय पुत्र अम्बिका प्रसाद पाण्डेय, निवासी ग्राम पूरे वासी, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष।

दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 विशेष न्यायालय एससी/एसटी, प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत ऑनलाइन गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में नियमानुसार गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।